संख्या- 1558/एक-10-2023

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1- राहत आयुक्त,
उ०प्र, लखनऊ।
2- अपर पुलिस महानिदेशक,
पी.ए.सी.मुख्यालय,
उ०प्र० लखनऊ।
3- जिलाधिकारी,
वाराणसी, प्रयागराज एवं गोरखपुर।
4- सेनानायक, एन.डी.आर.एफ.,
वाराणसी।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः *19/10/2023*

विषयः- मुख्यमंत्री बाल तरणवीर कार्यक्रम योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 03 जनपदों में चलाये जाने हेतु कार्यक्रम की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक राहत आयुक्त, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-4639/रा०आ०का०/2023-24 दिनांक 05.10.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश में सर्वाधिक जनहानि डूबने से सर्वाधिक प्रभावित ***03*** जनपदों में चलाये जाने राष्ट्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन संस्थान (***NINI***) पटना के सहयोग से ***10-10*** एस.डी.आर.एफ., एन.डी.आर.एफ. एवं पी.ए.सी. के कुल ***30*** जवानों को प्रत्येक बैच में तथा कुल ***04*** बैचों में ***120*** कर्मिकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में विकसित करने तथा इन मास्टर ट्रेनरों द्वारा प्रदेश के ***03*** जनपदों (वाराणसी के ***422,*** प्रयागराज के ***500*** एवं गोरखपुर के ***200*** आपदा मित्रों) के ***1122*** आपदा मित्रों को तैराकी कौशल के साथ-साथ डूबते व्यक्ति को बचाने हेतु आवश्यक जीवन रक्षक तकनीक जैसे- डूबते हुए व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालने, स्थानीय सामग्री की सहायता से डूबते हुए व्यक्ति को बचाने का कौशल, अस्थाई तरणताल का निर्माण, प्राथमिक उपचार एवं डूबने के प्रति लोगों को जागरूक करने के तरीके इत्यादि सिखाने हेतु मुख्यमंत्री बाल तरणवीर कार्यक्रम योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 03 जनपदों (वाराणसी,

प्रयागराज एवं गोरखपुर) में चलाये जाने हेतु कुल रू0 76,57,000/- का वित्तीय प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए निम्नलिखित विवरण/कार्यक्रम हेतु राहत आयुक्त कार्यालय को रू0 11,47,000/-, जनपद वाराणसी, प्रयागराज एवं गोरखपुर प्रत्येक को रू0 2,00,000/- लाख तथा जनपद वाराणसी में 422 आपदा मित्रों के प्रशिक्षण हेतु एन.डी.आर.एफ. को रू0 22,10,000/- और जनपद प्रयागराज एवं गोरखपुर में क्रमशः 500 एवं 200 आपदा मित्रों को तरणबीर प्रशिक्षण हेतु रू0 26,00,000/- एवं रू0 11,00,000/- की धनराशि का आवंटन करते हुए वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृत निर्गत करने का अनुरोध किया गया है:-

क्रमांक	परियोजना के चरण	व्यय	प्रस्तावित संस्थान/कार्यालय जिसमें धनराशि आवंटित किया जा रहा है।
1	***NINI*** द्वारा 60 मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण	***11,47,000***	राहत युक्त कार्यालय
2	जनपद वाराणसी में ***422*** आपदा मित्रों के तरणवीर प्रशिक्षण हेतु @ रू ***0 5000*** प्रति आपदा मित्र की दर से तथा रू ***0 1,00,000*** कन्टिनजेन्सी हेतु	***22,10,000***	एन.डी.आर.एफ.
3	जनपद प्रयागराज में ***500*** आपदा मित्रों के तरणवीर प्रशिक्षण हेतु @ रू ***0 5000*** प्रति आपदा मित्र की दर से तथा रू ***0 1,00,000*** कन्टिनजेन्सी हेतु	***26,00,000***	ए.डी.जी. पी.ए.सी मुख्यालय
4	जनपद गोरखपुर में ***200*** आपदा मित्रों के तरणवीर प्रशिक्षण हेतु @ रू ***0 5000*** प्रति आपदा मित्र की दर से तथा रू ***0 1,00,000*** कन्टिनजेन्सी हेतु	***11,00,000***	ए.डी.जी. पी.ए.सी मुख्यालय
5	जनपद वाराणसी में घाटों पर पिक्टोरल साइनेज बोर्ड हेतु	***2,00,000***	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, वाराणसी
6	जनपद प्रयागराज में घाटों पर पिक्टोरल साइनेज बोर्ड हेतु	***2,00,000***	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, प्रयागराज
7	जनपद गोरखपुर में घाटों पर पिक्टोरल साइनेज बोर्ड हेतु	***2,00,000***	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गोरखपुर
	कुल व्यय	***76,57,000***	

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक-18.09.2023 में लिए गए निर्णयानुसार राहत आयुक्त कार्यालय

के मुख्यमंत्री बाल तरणबीर कार्यक्रम के संबंध में कतिपय संशोधन के साथ अनुमोदन दिया गया है उक्त अनुमोदन के परिप्रेक्ष्य में राहत आयुक्त कार्यालय के प्रस्तावानुसार मुख्यमंत्री बाल तरणबीर कार्यक्रम के अन्तर्गत डूबने की जनहानि को न्यूनतम किये जाने हेतु पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में उक्त ***03*** जनपदों में चलाये जाने हेतु राहत आयुक्त कार्यालय के पत्र दिनांक ***05.10.2023*** के अनुसार उपरोक्त प्रस्तर-1 की तालिका में अंकित व्यय विवरण के अनुसार योजना का क्रियान्वयन किये जाने हेतु राज्य कार्यकारिणी समिति की संस्तुति के क्रम में रू*0* 76,57,000/- धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान करते हुए राहत आयुक्त कार्यालय को रू0 11,47,000/-, जनपद वाराणसी, प्रयागराज एवं गोरखपुर प्रत्येक को रू0 2,00,000/- लाख तथा जनपद वाराणसी में 422 आपदा मित्रों के प्रशिक्षण हेतु एन.डी.आर.एफ. को रू0 22,10,000/- और जनपद प्रयागराज एवं गोरखपुर में क्रमशः 500 एवं 200 आपदा मित्रों को तरणबीर प्रशिक्षण हेतु रू0 26,00,000/- एवं रू0 11,00,000/- की वित्तीय स्वीकृत देते हुए उक्त धनराशि क्रमशः राहत आयुक्त एवं संबंधित जिलाधिकारियों, अपर पुलिस महानिदेशक, पी.ए.सी.मुख्यालय तथा सेनानायक, एन.डी.आर.एफ. वाराणसी के निवर्तन पर निम्नलिखित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

<u>नियम व शर्तें / प्रतिबंधों</u>

1. अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सम्पन्न कराए जाने वाला कार्य राहत आयुक्त संगठन से समन्वय स्थापित कर संबंधित तीनों जनपदों तथा अपर पुलिस महानिदेशक, पी.ए.सी.मुख्यालय और सेनानायक, एन.डी.आर.एफ. वाराणसी/एस.डी.आर.एफ द्वारा नियमानुसार कराया जायेगा।
2. स्वीकृति धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।
3. राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि की उक्त धनराशि का उपयोग भारत सरकार के पत्र सं*o*-33-02/2020-***NDM-I,*** दिनांक-14.01.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
4. समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक-31.03.2024 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक-31.03.2024 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
5. जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा।
6. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एचके अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।
7. व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
8. ई-टेण्डरिंग/जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
9. राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार ही कार्यक्रम समयबद्ध रूप से कराया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये रू*0* 76,57,000/- (रूपये छिहत्तर लाख सत्तावन हजार मात्र)

को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 4250-101-05-24 वृहत निर्माण कार्य मद में स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/ बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Signed by राम केवल
Date: 19-10-2023 17:50:52
Reason: Approved
(राम केवल)
विशेष सचिव।

<u>संख्याः- 1558(1)/एक-10-2023 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- सेनानायक, एस.डी.आर.एफ, उ0प्र0 लखनऊ।
6- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ।
7- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
8- संबंधित जनपद के कोषाधिकारी, उ0प्र0।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-30/10/2023

प्रेषण संख्या:- 1558
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1558
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - प्राकृतिक आपदाएं
05 - स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	प्रयागराज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	200000 200000	200000 200000
2	वाराणसी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	200000 200000	200000 200000
3	गोरखपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	200000 200000	200000 200000
4	जवाहर भवन, लखनऊ-4180-वरि0 वित्त एवं लेखाधिकारी- राहत आयुक्त सं0 , लखनऊ-01--	वर्तमान प्रगामी	1147000 713802700	1147000 713802700
	योग	वर्तमान प्रगामी	1747000 714402700	1747000 714402700

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सत्रह लाख सैंतालीस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया इकत्तर करोड़ चौवालीस लाख दो हजार सात सौ

(जान्हवी मोहन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन